30/10/19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं -
वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, प्रतिवादीगण के जवाब मय काउंटर क्लेम, वांछित अनुतोष, एवं पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर विचार किया। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादीगण ही उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादगत भूमि वादीगण के द्वारा की गई पत्थरों की कोट के अन्दर है। प्रतिवादी नम्बर 1 सरकारी कर्मचारी था, और सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी प्रतिवादी ने तथ्य छिपा-कर वादगत भूमि अपने नाम से आवंटित करवाई है। जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। प्रतिवादी के विरुद्ध कब्जा नहीं होने तथा सरकारी कर्मचारी होने पर भूमि आवंटन करने के कारण 14(4) की कार्यवाही की जानी चाहिये 30/10

हुक्म

थी, तथा आवंटन निरस्त होना चाहिये।

इसके विपरीत प्रति० अधि० का कथन है, कि 100 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा होना बताया जा रहा है, जो झूंठ है। वादीगण द्वारा भाग दो वर्ष पूर्व इस भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया थी प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि विधिवत आवंटित हुई, दखल दिया गया तथा प्रति० को आवंटन शर्तों की पालना पर खातेदारी दी गई। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी ने अपने जानवर चराने के लिये रख छोड़ी थी। कब्जा प्रतिवादी का ही रहा है। वादीगण द्वारा गलत रूप से वाद पेश किया है, जो खारिज कराया जावे। दावा में हर्जे कब्जा दिलाई

हमने प्रकरण का भली भांति अध्ययन किया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है

तनकी नम्बर 1:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने स्वयं के शपथ पत्र के साथ प्रदर्श-1 से प्रदर्श-5 पेश किये हैं। वादीगण का कथन है, कि वादग्रस्त भूमि ख०नं० 172 पर उनका विगत 100 वर्षों से लगातार कब्जा चला आ रहा है। साथ ही साथ प्रदर्श-A3 से यह भी प्रमाणित होता

है, कि दिनांक 20.4.2000 को प्रतिवादी नं. 1 को वादग्रस्त भूमि पर विधिवत् दखल दिया गया है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-A3 से स्वयं वादीगण के यह तर्क बैजान हो जाते हैं, कि उनका विगत 100 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है।

प्रदर्श-3 से प्रमाणित है, कि वादग्रस्त भूमि प्रति० नं. 1 के खाते में दर्ज है तथा नामा० नं. 1376 से उसे खातेदारी दी जा चुकी है।

यह भी प्रमाणित नहीं है, कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर प्रति० नं. 1 की इच्छा के विपरीत पजेशन हो। वादीगण द्वारा ऐसे तथ्य भी पेश नहीं किये जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रति० नं. 1 को वादग्रस्त भूमि विधि के प्रावधानों के विपरीत आवंटित हुई हो या वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी नं. 1 के खातेदारी स्वत्व का अवसान होकर वादीगण को खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत हो गये हों।

चूंकि प्रतिवादी नम्बर 1 को दावा दायरी से पूर्व ही खातेदारी स्वत्व प्रदान किये जा चुके हैं, ऐसी सूरत में आवंटन नियम 1970 के नियम 14 के उपनियम 4 की कार्यवाही भी प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं की जा सकती।

[signature]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म | हुक्म या ... में आते हुए

प्रकाण में न तो वादगत भूमि के प्रतिवादी नं. 1 के खातेदारी स्वत्व समाप्त होना प्रमाणित है, और न ही वादीगण का उक्त भूमि पर खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत होना प्रमाणित है।

अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। हस्थ प्रदर्श A1, प्रदर्श-3, प्रदर्श-2 से यह प्रमाणित होता है, कि ग्राम खेड़बाद की भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा प्रतिवादी नं. 1 के खाते में दर्ज है। उक्त वादगत भूमि न तो वादीगण की खातेदारी की है, और न ही वादीगण वादगत भूमि के खातेदारी स्वत्व घोषणा के पक्ष है। प्रति० नं. 1 की हैसियत वादगत भूमि पर धारा 5(43) एवं धारा 14 में वर्णित खातेदार अभिधारी की है। वादीगण प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध धारा 188 का अनुतोष प्राप्ती के हकदार नहीं है।

अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध वादीगण को वांछित अनुतोष दिया जाना विधि संगत नहीं है। अतः यह तनकी बहक प्रति० 1 खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

30/X/19

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तनकीह नम्बर 3:- इस तनकीह को सिद्ध करने का भार प्रतिo पर था। प्रतिo द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित होता है, कि प्रतिo नं. 1 वादग्रस्त भूमि का अभिलेखित खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में ही प्रतिवादी का कब्जा संभलाया जा चुका है। तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा प्रमाणित नहीं है। अतः सामान्यतया के मत तनकीह विरुद्ध प्रति. 1 तय की जाती है। तनकीह नं. 4:- तनकीह नं. 1 से 3 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर वाद वादी व काउंटर क्लेम प्रति. 1 दोनों अस्वीकार योग्य है। अतः वाद वादी व काउंटर क्लेम प्रतिo नं. 1 दोनों खारिज किये जाते है। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। निर्णय आज दिo 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। 30/10/19 (चिमनलाल मीणा) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Scanned by CamScanner

Judl/Civil
Part IV-10

~~अंतिम~~ डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी मुकाम— रामगंजमण्डी
व इजलास— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)
रामेश्वर वगैरा— नन्दलाल
दावा बाबत— 88, 89, 188 R.T. Act. 1955

मुकद्दमा नं. — 54 — सन् 2010

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— चिमनलाल मीणा (R.A.S.) बहाजरी— श्री डी. बी. माहेश्वरी एड. —मिनजानिब मुद्दई व— श्री आर. जे. कुल्मी एड. —मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादी व काउंटर क्लेम प्रतिवादी नं. 1 दोनों खारिज किये जाते हैं।

चीज— × —मुबलिग— × —बाबत— ×

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— × —फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक— × —को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 30 —माह— 10 —2014 को जारी की गई।

दस्तखत— 30/10/14
ओहदा— उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर ..			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक ..					
मीजान..	—	—	मीजान..	—	—

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो.–40–2004–1,00,000 प्र.

30/10/14
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner